न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2024 G.C.M.S. No. 2024/36 दर्ज दिनांक : 24.01.2024

अपीलार्थिगण:

1. प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति बंजारा, निवासी मटवाड़ा, फालना स्टेशन, तहसील बाली व जिला पाली।
2. मो. अयूब खां पुत्र अब्दुल रहमान, जाति मुसलमान, निवासी फालना स्टेशन, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 256/2023 बअनवान सरकार बनाम आयूब खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 256/2023 बअनवान सरकार बनाम आयूब खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम सेला तहसील पाली के खसरा नम्बर 52/1, 62/1, 62/2 कुल रकबा 4.00 हैक्टेयर की कृषि भूमि बताकर तहसीलदार द्वारा धारा 177 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2023 को पेश किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया, इसमें अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2023 को आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली दिनांक 06.04.2023 से भू उपयोग परिवर्तन हेतु विचाराधीन है व भू उपयोग परिवर्तन की तमाम कार्यवाही नगर पालिका खुण्डाला के प्राधिकृत अधिकारी को की जानी है तथा उनके द्वारा कार्यवाही में की जाने वाली देरी और लापरवाही से यदि किसी प्रकार की देरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी अपीलाण्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डालकर 4 माह का समय निर्धारित किया गया है, जबकि प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही का दायित्व अपीलाण्ट का नहीं हैं, इस कारण से जो चार माह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की अवधि के लिए अपीलाण्ट को पाबन्द किया गया है, यह विधिनुसार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी ओर से तमाम कार्यवाही पूर्ण कर अपने दायित्व का निर्वाह कर लिया है तथा प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका खुण्डाला को संपरिवर्तन किया जाना है, यदि इस अवधि बाधित समय में तहसीलदार वाली व अन्य राजकीय कर्मचारी के प्रभाव व दबाव से संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं होती हैं तो इसका दायित्व अपीलाण्ट पर डालकर चार माह बाद धारा 177 की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार को स्वतंत्र रखा है, उक्त आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। संपरिवर्तन की पत्रावली दिनांक 06.04.2023 को पेश की गई, प्रार्थना पत्र शुल्क जमा करवा दिया गया, दिनांक 21.07.2023 को प्रीमियम शुल्क 2,35,591/– जमा करवा दिया तथा इसके बाद दिनांक 10.01.2024 को दैनिक भास्कर में तथा जागरूक टाईम में विज्ञप्ति जारी कर दी गई व दिनांक 27.12.2023 को तहसीलदार द्वारा संपरिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया तो पुनः धारा 177 की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं रहता है। धारा 177 के तहत कार्यवाही ड्रॉप करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश चार माह की अवधि को देने का कानूनी अधिकार नहीं हैं, न ही कानून के अनुसार निर्देश ही दिया जा सकता है। उक्त निर्देश विधि व नियमों के विरूद्ध है तथा संपरिवर्तन रूल्स 2012 के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया तथा साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 19.12.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोंडेट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2023 को प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा नगरपालिका खुड़ाला फालना में संपरिवर्तन हेतु दिनांक 06.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलांट द्वारा प्रीमियम शुल्क के रूप में 235591/– रसीद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

67 दिनांक 21.07.2023 द्वारा नगरपालिका में जमा करवाया गया। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से अपीलांट खातेदार द्वारा नियमानुसार खातेदारी कृषि आराजी के संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर अपेक्षित राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी थीं। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा साथ ही अपीलांट खातेदारान को पाबंद किया गया कि चार माह के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे तथा तहसीलदार बाली को उक्त अवधि के बाद भी यदि संपरिवर्तन कार्यवाही पूर्ण नहीं होती हैं तो पुनः कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत कर उक्त चार माह की अवधि की सीमा तक अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट खातेदारान द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संपरिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 07.04.2023 से ही संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 21.07.2023 को ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित शुल्क राशि राजकोष में जमा करवा दी गई। उक्त संपरिवर्तन कार्यवाही जैरकार रहने के दौरान तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.09.2023 को धारा 177 के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी गई। जिससे संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रभावित रही। प्रकरण में संबंधित नगरपालिका द्वारा दिनांक 10.01.2024 को समाचार–पत्रों में आपत्ति आमंत्रित की गई तथा दिनांक 27.12.2023 को तहसीलदार बाली द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट खातेदारान द्वारा संबंधित नगरपालिका के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के नियमानुसार संपरिवर्तन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व से पूर्ण तत्परता व सद्भाविक रूप से अपेक्षित कार्यवाही की गई हैं तथा अपेक्षित राशि भी राजकोष में जमा करवाई जा चुकी हैं एवं आपत्तियां भी आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा रेस्पोंडेंट तहसीलदार द्वारा अनापत्ति भी जारी की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में संपरिवर्तन की कार्यवाही संबंधित नगरपालिका द्वारा पूर्ण की जानी अपेक्षित है। अतः ऐसी स्थिति में खातेदारान अपीलांट्स को चार माह की समय सीमा से पाबंद किया जाना तथा इसके पश्चात तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखना किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत व उचित नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाना व अपीलाधीन आदेश आंशिक रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी

से चार माह की समयसीमा की सीमा तक अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 256/2023 बअनवान सरकार बनाम आयूब खां वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को आंशिक रूप से "अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के 4 माह की अवधि में भू–उपयोग परिवर्तन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि नियत अवधि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं होती हैं तो प्रार्थी तहसीलदार बाली पुनः कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे।" की सीमा तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। यदि नगरपालिका खुडाला फालना द्वारा अपीलांट का संपरिवर्तन आवेदन नियम विरूद्ध होने से अस्वीकार कर दिया जाता है तो तहसीलदार बाली नये सिरे से खातेदारान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner